ज्ञापांक– 1595 दिनांक– 30/10/15

फारम-VII- क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या– 8(4)

आप के आवेदन संख्या– 01 तिथि– 21/09/2015 के संदर्भ में श्रीमति / **श्री संजय कुमार सिंह, लीड पार्टनर भी० एच० पी० रियल ईस्टेट (J.V)**, पत्ता– **फ्लैट नं०– 4 सी. भगवती शरण इन्कलैभ, बिसाईड पी०सी० ज्वैलर्स, बोरिंग रोड, पटना।**

(क) आवासीय भवन के निमार्ण

(ख) भवन के पुनःनिर्माण

(ग) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्धन

(ध) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद / नगर निगम / नगर परिषद / नगर पंचायत / महानगर क्षेत्र / बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के वि० स० नं० 60/15-16 **प्लौट नं०– 15 (P), खाता नं०– 54, तौजी नं०– 5059, थाना नं०– 35, वार्ड नं०– 11, मौजा– बबक्करपुर, खगौल मेन रोड, दानापुर, पटना** के बाबत निम्नलिखित शर्तो / निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका **प्लान केस नं०–** 01/16+06+11-2015-2016 है, की स्वीकृति दी जाती है:–

(क) भूमि / भवन का उपयोग अनन्य रुप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रुप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 3730 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 55.00 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र मेंX..... मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रुप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के सुसंगत प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।

ह0 —
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, दानापुर निजामत

ज्ञापांक– 1595 दिनांक– 30/10/15

प्रतिलिपी– श्री संजय कुमार सिंह (लीड पार्टनर) भी०एच०पी रियल ईस्टेट (JV) को आवश्यक कारवाई हेतु सूचनार्थ।

30/10/15
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, दानापुर निजामत

30/10/15